

SHRI PARTAP SINGH BAJWA: Sir, this is a very important matter concerning Punjab. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, just one sentence. ...*(Interruptions)*... Please let him... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already called Mr. Bajwa. ...*(Interruptions)*... No, no. Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, in Tamil Nadu, agriculture loan has been waived off by *Amma*. That may be put on record. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Navaneethakrishnan, this cannot go on like this. ...*(Interruptions)*... Every Member of this House is supporting this issue. I have mentioned your name. That is enough. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, I only wished to make this point that agricultural loan has been waived off by *Amma* in Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*...

SHRI PARTAP SINGH BAJWA: Sir, my time is being taken away. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may first start. ...*(Interruptions)*...

Plight of Indian workers in Libya and Iraq

श्री प्रताप सिंह बाजवा (पंजाब): सर, मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूँ कि पंजाब के लुधियाना जिले के तीन लड़के हैं, लीबिया की एक ऑयल कंपनी ने पहले तो उनके पासपोर्टस छीन लिए, उसके बाद न उनको salary दी जा रही है, न उनको खाना दिया जा रहा है। मैं External Affairs Ministry से यह मांग करना चाहता हूँ कि वहां जो हमारी Embassy है, कम से कम उसको pro-active role अदा करना चाहिए। यह बात अकेले लीबिया तक ही सीमित नहीं है, यह सऊदी अरब में भी हो रही है।

मैं पूरे पार्लियामेंट का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि our External Affairs Minister has misled the Parliament. She has misled the nation. सर, आज से दो साल पहले जून 15, 2014 को 40 लोग, जिनमें विशेष तौर से हमारे पंजाब के लोग थे, कुछ वेस्ट बंगाल के लोग थे और कुछ हिमाचल प्रदेश के लोग थे, उनको ISIS ने मोसुल से kidnap कर लिया था। उनमें से एक लड़का वहां से भाग कर आया। वह पंजाब का था, मेरे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का, उसका नाम हरजीत मसीह है। उसने यहां आकर बयान दिया कि उन लोगों ने सभी लोगों को मेरे सामने मार दिए, मैं अकेला बच कर आया, क्योंकि एक आदमी मेरे ऊपर गिर गया था और उन्होंने यह सोचा कि इसको भी गोली लगी है और यह मर गया है। उसने बताया कि जब वे सभी लाशों को छोड़ कर चले गए, तो मैं वहां से भाग कर निकला। सुषमा स्वराज जी के पास अकाली दल के लीडर आए, इनके मंत्री भी आए। उन्होंने यकीन दिलाया कि गवर्नर्मेंट के पास 6 major sources हैं। उन्होंने कहा कि वे लोग जिन्दा हैं और यह जो हरजीत मसीह का बयान है, इसका बिल्कुल कोई आधार नहीं है। मैं सुषमा स्वराज जी से कहना चाहता हूँ कि मैडम, दो साल हो गए, मेरे

पास पेपर्स हैं, मैं इन्हें carry कर रहा हूँ, जिसमें 30 साल की एक नौजवान लड़की ने यह बात कही है कि मुझे बताएँ, दो साल हो गए, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि मेरा husband जिन्दा है या नहीं। अगर मैं आज शादी कर लूँ और दो महीने के बाद, तीन महीने के बाद मेरा हस्बैंड आ गया तो मैं उसको क्या जवाब दूँगी। ऐसे ही पेरेंट्स की बात है, मां हैं, पिता हैं, बच्चे हैं। यह गवर्नमेंट मैंने पहली देखी सारी दुनिया में, कहीं अमेरिकन को उठा लो, किसी यूरोपियन को उठा लो, इमीडिएटली उनके अम्बेसेडर, उनके पौलिटिशिएन वहां पहुँचते हैं। मैं मांग करूँगा ऑनरेबल प्रधान मंत्री जी से, वे सारी दुनिया धूम आए, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, हमारी मांग यह है कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन इराक में भेजना चाहिए, जो वहां जाकर उनकी अथॉरिटीज से मिले और जो जिन्दा हैं, उनको वापस लेकर आए और अगर नहीं, तो कम से कम उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिलीज को बतला दें कि वे लोग जिन्दा नहीं हैं। They are taking the nation and the Parliament for a ride. This is happening since the last two years. Parents are seeking clarifications from the Ministry of External Affairs अगर आपके पास. ... (समय की घंटी) ... एक मिनट सर, मेरी बात पूरी हो जाए।....(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: बस, हो गया। नक्वी जी। ... (व्यवधान) ... Names of all the Members, who associate, may be added

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Partap Singh Bajwa.

SHRIMATI AMBIKA SONI (Punjab): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Partap Singh Bajwa.

श्री नरेंद्र बुढानिया (राजस्थान): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Partap Singh Bajwa.

SHRI K. T. S. TULSI (Nominated): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Partap Singh Bajwa.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Partap Singh Bajwa.

SHRI VIVEK GUPTA (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Partap Singh Bajwa.

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (Himachal Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Partap Singh Bajwa.

श्री पी. एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Partap Singh Bajwa.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Partap Singh Bajwa.

SHRIMATI RAJANI PATIL (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Partap Singh Bajwa.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Naqvi ji, it is a very serious issue. What is your reaction?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक्वी): बाजवा जी ने जो इश्यू उठाया है, मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और न केवल हमारी सरकार, बल्कि जो भी सरकारें रही हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, वह देश के हितों को प्राथमिकता देकर होती हैं और वे हमेशा चलती हैं। जहां तक अभी सऊदी अरब का, लीबिया का, इराक का मामला है, उस बारे में खुद जो हमारी विदेश मंत्री महोदया हैं सुषमा स्वराज जी, वे पूरी तरह से वहां पर सम्पर्क में थीं और जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनको किस तरह से राहत मिले, वहां की सरकारों के साथ मदद करके उन्होंने आगे बढ़ाया। अभी जो सऊदी अरब की बात की, खुद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, श्री वी. के. सिंह साहब, वे वहां पर गए और जाकर के राहत दी। उसके अलावा माननीय सदस्य के पास कोई स्पेसिफिक केस है, जो बात वह कह रहे हैं, अगर वे सरकार को बताएंगे तो सरकार इस पर कदम उठाएगी।

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, two years ago, I raised this issue relating to these 39 people who are primarily from the State of Punjab, and who have gone missing in Iraq. The hon. Foreign Minister gave not a wishy-washy assurance but a categorical assertion on the floor of this House that she had definite information that all 39 people were safe and she would bring them back. We referred to what my colleague, Mr. Bajwa, had said, but she said, this is not true. There is one man who has come and who is creating mischief, that she also knows about him. She said this. I can take out records and put them before the hon. Deputy Chairman. So, we really want to know as to what has happened to those 39 people. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Sir, this is a very serious matter. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Viploveji, sit down. ...(*Interruptions*)... Mr. Bajwa, listen to me. Whatever information you have on this subject, you kindly pass on the same to the Minister of External Affairs. I would request Naqvi ji to take up the matter with the Minister of External Affairs. She should contact the Embassy there. This is a genuine concern.

श्री मुख्तार अब्बास नक्वी: कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो तो हमें दे दें, हम भेज देंगे।

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, the hon. Member has raised a very important and sensitive issue. We all associate with that and I would request the Minister of External Affairs to make a statement in the House in this regard.

**Need to amend the New Advertising Policy declared
on the 15th of June, 2016**

श्री पी. एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। यह विषय लघु और मध्यम समाचार पत्रों की समस्याओं के बारे में है। भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा 15 जून, 2016 को विज्ञापन नीति 2016 की घोषणा की। ताज्जुब की बात यह है कि सरकार ने नीति निर्धारण करने से पहले न तो किसी स्टेकहोल्डर से, प्रकाशकों से, सम्पादकों से वार्ता की और न ही उनके साथ कोई विचार-विमर्श हुआ।

लघु, मध्यम समाचार-पत्रों के बारे में आप जानते हैं कि केंद्र की और राज्यों की जो ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, उन्हें दूर स्थानों तक ये पहुंचाते हैं, ले जाते हैं, जिससे हजारों ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी मिलता है। इन समाचार-पत्रों में 90 फीसदी समाचार होते हैं और करीब केवल 10 परसेंट विज्ञापन होते हैं। इनमें सामाजिक समाचार ज्यादा होते हैं। इस नई विज्ञापन नीति के कारण छोटे, मध्यम समाचार पत्र बंद होंगे और बड़े समाचार पत्रों को फायदा होगा।

महोदय, इन्होंने इसमें कई शर्तें लगाई हैं। चूंकि आरएनआई में कर्मचारियों की कमी है, जिसके चलते ये समाचार-पत्रों के प्रचार, प्रसार, सर्कुलेशन की जांच नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यह शर्त रखी गई है कि इनको आरएनआई के सर्कुलेशन का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। दूसरी शर्त यह भी लगाई गई है, वैसे तो विज्ञापन निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, लेकिन पीटीआई, यूएनआई, हिन्दुस्तान न्यूज एजेन्सी से प्रमाण-पत्र लिया जाए और इस कॉउन्सिल में वार्षिक शुल्क जमा करने का भी प्रावधान है, जबकि आरएनआई में वे पहले से रजिस्टर्ड हैं। लघु, मध्यम समाचार-पत्रों के प्रकाशकों से पीएफ एकाउंट भी मांगा गया है। समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापनों के लिए डीएवीपी पैनल में आने के लिए पहले 18 महीने पहले का पुराना अखबार होना चाहिए था, अब इसे बढ़ा कर 36 महीने कर दिया है और बड़े अखबारों के लिए वह घटा कर एक साल, यानी 12 महीने कर दिया है, जो एक बड़ी ज्यादती है। नई विज्ञापन नीति के अनुसार समाचार-पत्रों के पास अपना प्रिंटिंग प्रेस भी होना चाहिए, लेकिन यह डेढ़ करोड़ से ज्यादा का प्रिंटिंग प्रेस एक छोटे अखबार का प्रकाशक कैसे लगाएगा? यह सोचने की बात है और जो शर्त लगाई गई है, ये पूरी तरह से न्यायसंगत नहीं हैं। अतः जो छोटे और मध्यम समाचार-पत्र हैं, उनके प्रकाशकों से विचार-विमर्श करने के बाद नीति पुनःनिर्धारित की जाए और जो पहले यह विज्ञापन नीति घोषित की है, इसको रोका जाए और केवल विचार-विमर्श करने के बाद ही आगे कार्रवाई हो। धन्यवाद।

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूं।

SHRI VIVEK GUPTA (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.